उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि0)
संख्या-17/2019/2232-बीस/1-ई-2019-539/19
लखनऊः दिनांक :22 नवम्बर, 2019

कार्यालयज्ञाप-

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि0) के कार्यालयज्ञाप- सं०-898/बीस-1-ई-2019-539/19 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 द्वारा 30 प्र0 सचिवालय में कार्यरत 93 विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य, संबंधित अनुभाग को आवंटित किये गये हैं।

2- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि0) के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10/2019/2079/बीस-1-ई-2019-603(47)/90 टीसी-18, दिनांक 08 नवम्बर, 2019 द्वारा गठित एक विभाग "नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग" एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2188/बीस-1-ई-2019-यूओ-176/19, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 द्वारा गठित 02 अन्य विभाग "राज्य कर विभाग" व "स्टाम्प एवं निबंधन विभाग" के दृष्टिगत, उक्त नवीन गठित विभागों के अधिष्ठान व लेखा सम्बन्धी कार्य का आवंटन निम्नानुसार किया जाता हैः-

क्र0	विभागीय कोड	नवीन विभाग का नाम	संबंधित अधिष्ठान अनुभाग	संबंधित लेखा अनुभाग
1	--	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1	सिंचाई एवं जल संसाधन लेखा
2	--	राज्य कर विभाग	राज्य कर अनुभाग-3	राज्य कर लेखा
3	--	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग	स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-1	राज्य कर लेखा

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2188/बीस-1-ई-2019-यूओ-176/ 19, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 द्वारा संस्थागत वित्त अनुभाग को वित्त विभाग में समाहित किये जाने के दृष्टिगत, संस्थागत वित्त अनुभाग के अधिष्ठान संबंधी कार्य, वित्त 4-अनुभाग (सेवाएं)तथा लेखा संबंधी कार्य, वित्त लेखा द्वारा सम्पादित किये जायेंगे ।

3- उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-898/बीस-1-ई-2019-539/19, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 में उल्लिखित तालिका के क्रमांक-3 पर अंकित लोक सेवा प्रबन्धन विभाग का संबंधित लेखा अनुभाग त्रुटिवश 'प्रशासनिक सुधार लेखा' के स्थान पर 'राजस्व लेखा' अंकित हो गया है। अतः तात्कालिक प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप दिनांक-20 नवम्बर, 2019 में उल्लिखित तालिका के कॉलम-5 के क्रमांक-3 पर अंकित "राजस्व लेखा" के स्थान पर एतदद्वारा "प्रशासनिक सुधार लेखा" किए जाने का संशोधन किया जाता है।

उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-898/बीस-1-ई-2019-539/19, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, जबकि अन्य तथ्य एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-17/2019/2232-बीस/(I)1-ई-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0शासन।
3. प्रमुख सचिवसचिव/, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मा0 मन्त्रीराज्यमंत्रीगण/, उ0प्र0।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त अपर मुख्य सचिवसचिव/प्रमुख सचिव/, उ0प्र0शासन।
8. प्रमुख सचिव, विधान सभाविधान परिषद।/
9. उ0प्र0सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0, प्रयागराज।
11. निदेशक, सूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
12. स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, एन0बी0सी0सी0 प्लेस, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003 दो अतिरिक्त प्रति सहित इस अभ्युक्ति के साथ कि कृपया तदनुसार भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।
13. ई आफिस कन्ट्रोल रूम को तदनुसार संशोधन कराये जाने हेतु प्रेषित।-
14. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अजय कुमार पाण्डेय)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner